अमर उजाला | प्रदेश

परियोजनाओं में देखा जाएगा यातायात प्रभाव बिल्डर को इंतजाम का शुल्क भी देना होगा

प्रदेश में आवास विभाग तैयार कर रहा है नए नियम, जल्द लागू होंगे

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में नई आवासीय या व्यावसायिक परियोजना बनाने से पहले अब यातायात प्रभाव देखा जाएगा। इसके लिए आवास विभाग नए नियम तैयार कर रहा है जो कि जल्द ही जारी होंगे।

देहरादून सहित तमाम शहरों में बीते वर्षों में ऐसी आवासीय, व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित हुई हैं, जिनसे यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर जाम के हालात रहने लगे। कहीं यातायात संभालने के लिए पुलिस-प्रशासन को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए आवास विभाग ने नियम तैयार किए हैं। प्रमुख सचिव आवास डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम के निर्देश पर तैयार इन नियमों के तहत सबसे पहले परियोजना का यातायात प्रभाव देखा जाएगा।

विकासकर्ता अपनी परियोजना से क्षेत्र के यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराएगा। इसकी रिपोर्ट आवास विभाग को देगा। अगर कहीं यातायात सुधार के लिए कुछ छोटे स्तर के इंतजाम करने होंगे तो वह विकासकर्ता खुद करेगा।

जिन परियोजनाओं के निर्माण से यातायात पर ज्यादा असर पड़ रहा होगा, वहां लोक निर्माण विभाग की मदद से काम होगा। इसका खर्च संबंधित विकासकर्ता को उठाना होगा। नए नियमों में इसके शुल्क का भी निर्धारण कर दिया जाएगा। इसी हिसाब से आगे का काम होगा।

10 वर्षों की आवास जरूरतें देख रहा विभाग

आवास विभाग प्रदेश में आगामी 10 वर्षों की आवास जरूरतें देख रहा है। इसके लिए विभाग कंसलटेंट की नियुक्ति करने जा रहा है। यह प्रदेश में आवासीय गैप का विश्लेषण करेंगे। 2035 तक की जो आवास जरूरतें होंगी, उनका डाटा तैयार करेंगे। सरकार उसी हिसाब से आवासीय परियोजनाओं के लिए काम करेगी।